न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री दीपक मेहता, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 113/2014

दायर दिनांक 10.12.2014
निर्णय दिनांक 08.06.2017

1. श्री बाबूलाल पिता थावरा कटारा, निवासी पादरडी, तहसील व जिला डूंगरपुर
2. श्री बसु पिता थावरा कटारा, निवासी पादरडी, तहसील व. जिला डूंगरपुर
3. श्रीमती रमली पत्नी स्व. थावरा कटारा, निवासी पादरडी, तहसील व जिला डूंगरपुर

.... वादीगण

बनाम

1. श्री सेंगा पिता पन्ना कटारा, निवासी पादरडी, तहसील व जिला डूंगरपुर
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार, डूंगरपुर

.... प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :– 1– श्री गला पटेल वकील वादीगण
2– श्री जयदीपसिंह वकील प्रतिवादी
3– श्री पैरोकार सरकार

निर्णय

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा पादरडी में खतौनी संख्या नई 198 पुरानी 139 के खसरा नंबर 266, 268, 270, 276, 279, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 518 भूमि कुल किता 16 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा एवं खतौनी संख्या नई 196 पुरानी 139 के खसरा नंबर 404, 407, 408 कुल किता 3 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सहखातेदारी में अंकित होकर दोनों का 1/2, 1/2 हिस्सा था, लेकिन खतौनी संख्या 196/139 के 1/2 हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा श्रीमती कमला को विक्रय कर दिये जाने से कमला का नाम खतौनी में अंकित हुआ। भूमि शिरकती में रहने से विवाद होता है तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। अतः उक्त भूमियों का कानूनी बंटवाड़ा किया जावे।

उक्त भूमियों का पैमाइश बटवाड़ा ...

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये जाने पर प्रतिवादीगण की से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया एवं तनकियात कायम की जाकर उभयपक्षों की साक्ष्य उप वादीगण का वाद इस आशय से प्रारम्भिक डिक्री किया गया कि मौजा पादरडी की खतौनी 198/139 के कुल खसरा 16 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा तथा खतौनी संख्या 196/139 के खसरा 3 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा का मौके पर कब्जे एवं रेकार्ड अनुसार मिट्स एण्ड् बाउण्ड अनुसार समान बंटवाड़ा किया जाकर बंटवाड़ा स्कीम प्रस्तुत करें, जिसमें खाता संख्या 198 में स्थित आराजियात को वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच अलग-अलग खाते दर्ज किये तथा खात संख्या 196/139 की आराजियाम में श्रीमती कमला एवं वादीगण के बीच बराबर अंकित होने से बंटवाड़ा स्कीम के तहत आराजीयात का खाता अलग-अलग किया

उक्त निर्णय की पालना में बंटवाड़ा स्कीम प्राप्त होकर संलग्न पत्रावली है। प्राप्त बंटवाड़ा स्कीम के क्रम में उभयपक्षों के अभिभाषकों को सुना गया, जिन्होंने प्राप्त बंटवाड़ा स्कीम से आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए प्राप्त बंटवाड़ा सूची अनुसार अंतिम डिक्री इस प्रकार जारी की जाती है कि खाता संख्या 198/139 के खसरा नंबर 266, 268, 270, 276, 279, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 518 कुल किता 16 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा निम्नानुसार रहेगा :—

सेंगा पिता पन्ना कटारा (प्रतिवादी संख्या 1)		बाबूलाल, बसु पिता थावरा, श्रीमती रमली बेवा थावरा कटारा (वादीगण)	
खसरा नंबर	रकबा बीघा में	खसरा नंबर	रकबा बीघा में
266	0.05	266/1	0.04
268	0.10	268/1	0.10
270	0.02	270/1	0.03
276	0.05	276/1	0.04
279	0.06	279/1	0.06
291	0.05	291/1	0.05
292	0.03	292/1	0.02
293	0.02	293/1	0.03
294	0.01	294/1	0.01
295	0.03	295/1	0.03
296	0.03	296/1	0.03
297	0.02	297/1	0.02
298	0.04	298/1	0.04
299	0.06	299/1	0.07
300	0.01	मकान	~~0.01~~
518	0.03	518/1	0.03
कुल किता 16	3.01	कुल किता 16	3.00

खाता संख्या 196 / 139 के खसरा नंबर 404, 407, 408 कुल किता 3 रकबा 1 बीघा
बिस्वा में वादीगण एवं श्रीमती कमला पत्नी सोमा भील (प्रतिवादी संख्या 1 की केता) का हिस्स
निम्नानुसार रहेगा :—

श्रीमती कमला पत्नी सोमा भील (प्रतिवादी संख्या 1 की केता)		बाबूलाल, बसु पिता थावरा, श्रीमती रमली बेवा थावरा कटारा (वादीगण)	
खसरा नंबर	रकबा बीघा में	खसरा नंबर	रकबा बीघा में
404	0.05	404 / 1	0.05
407	0.05	407 / 1	0.05
408	0.04	408 / 1	0.05
कुल किता 3	0.14	कुल किता 3	0.15

उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। निर्णय आज दिनांक 08.06.2017 क
लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर घोषित किया गया।

(दीपक मेहता)
उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर

उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर

राजस्थान–सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर जिला डूगरपुर (राज0)

(आदेश 2 के नियम 6 ओर 7जा.दी)

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई

पीठासीन अधिकारीः– दीपक मेहता (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर

प्रकरण संख्या 113 / 2014

दायर दिनांक 10.12.2014
निर्णय दिनांक 08.06.2017

1–श्री बाबुलाल पिता थावरा कटारा निवासी पादरडी तहसील व जिला डूॅगरपुर
2–श्री बसु पिता थावरा कटारा निबासी पादरडी तहसील व जिला डूॅगरपुर
3–श्रीमती रमली पत्नि स्व.थावरा कटारा निवासी पादरडी तहसील व जिला डूॅगरपुर
———वादीगण

बनाम

1– श्रीसेगा पिता पन्ना कटारा निवासी पादरडी तहसील व जिला डूॅगरपुर
2–लेण्ड होल्डर तहसीलदार डूॅगरपरु
–प्रतिवादीगण

दावा बाबत बटवारा एवं स्थार्द निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीए

यह मुकदमा आज वास्तें इनफिसाल कतई रूबरू दीपक मेहता व ब हांजरी श्री गला पटेल एडवोकेट मिन जानित मुद्दईयान व श्री जयदीपसिंह एडवोकेट जानिब मद्दायलाह नं0 1 एवं पेरोकार सरकार पेश होकर हुक्त दिया जाता है व डिगरी दी जाति है कि :–

वाद वादीगण को स्वीकार करते हुऐ अन्तिम रूपेण डिकी इस आशय की जारी की जाती हैं कि मौजा पादरडी के हाल खाता संख्या 220 / 198 में अंकित भूमि किता 16 रकबा 6 बीघा 1 बीस्वा एवं हाल खाता संख्या 27 / 196 का बटवारा परिशिष्ट–अ एवं ब के अनुसार किया जाकर खाते प्रथक–2 कायम किये जावे तथा तदनुसार राजस्व रेकार्ड नक्षा परिशिष्ट–स एवं द अनुसार अमल दरामद एवं तरमीम की जावे। परिशिष्ठ अ,ब,स,द, निर्णय एवं डिकी का पार्ट माना जावेगा।

यह डिकी दिनांक 08.06.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(दीपक मेहता)
उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर

उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर